

**विद्युत सेवा आयोग**  
**उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लि०**

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

एस०एल०डी०सी०परिसर (निकट मंत्री आवास),  
विभूति खण्ड, फेज-2, गोमती नगर, लखनऊ-226010

**(विज्ञापन सं० 6-विसेआ/2016/सहा०लेखा०-256)**

उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लि० के अन्तर्गत लेखा संवर्ग में समूह 'ग' के अन्तर्गत अराजपत्रित कार्मिक सहायक लेखाकार हेतु निम्न श्रेणीवार रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से प्रतियोगितात्मक परीक्षा द्वारा चयन हेतु निर्धारित योग्यता रखने वाले भारतीय नागरिकों से आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम के द्वारा आमंत्रित हैं। व्यक्तिगत रूप से अथवा अन्य माध्यम से विद्युत सेवा आयोग कार्यालय में भेजे गये आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जायेगा। श्रेणीवार रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है :-

क्रम सं०	पद कोड	पदनाम	सामान्य वर्ग / अनारक्षित श्रेणी	अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी	अनुसूचित जाति श्रेणी	अनुसूचित जनजाति श्रेणी
1	21	सहायक लेखाकार (ASSISSTANT ACCOUNTANT)	129	69	53	05

- उपरोक्त रिक्तियों की संख्या आवश्यकतानुसार घटाने एवं बढ़ाने का अधिकार उ०प्र० पावर कॉरपोरेशन लि० के पास सुरक्षित है।
- केन्द्र/राज्य सरकार या किसी अन्य विभाग की सेवा से निष्कासित व्यक्ति उपरोक्त पदों हेतु अर्ह नहीं हैं।
- अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थी सामान्य वर्ग/अनारक्षित श्रेणी (General Category/Unreserved Category) के अन्तर्गत आवेदन कर सकते हैं।

1. वेतनमान:- वेतन बैंड-1 में वेतनमान रू० 5200-20200 एवं ग्रेड-वेतन रू० 3000 (अन्य भत्ते उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० में लागू नियमानुसार देय होंगे)

2. अनिवार्य शैक्षिक एवं अन्य अर्हतायें:- आवेदन के समय अभ्यर्थी के पास निम्न अर्हता का पूर्ण धारित होना आवश्यक है:

पदकोड-21 सहायक लेखाकार (ASSISSTANT ACCOUNTANT)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय (केन्द्र अथवा राज्य सरकार के एक्ट द्वारा स्थापित) से वाणिज्य में स्नातक डिग्री।
--	--

3. आयु:- दिनांक 01.07.2016 को न्यूनतम - 21 वर्ष एवं अधिकतम - 40 वर्ष।

4. अधिकतम आयु सीमा में अनुमन्य छूट : उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमीलेयर) एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित श्रेणी के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की, विकलांग अभ्यर्थियों (केवल उक्त पद उ०प्र० सरकार द्वारा केवल विकलांगता श्रेणी OA/OL के लिये चिन्हित है) को 15 वर्ष की एवं भूतपूर्व सैनिक (यथा उत्तर प्रदेश के शासनादेश में परिभाषित एवं जिन्होंने सेना में कम से कम 05 वर्ष की सेवा की हो) को अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा सेना में की गयी पूर्ण वर्षों की सेवा की अवधि में तीन वर्ष जोड़ते हुए छूट नियमानुसार अनुमन्य होगी।

नोट:-आवेदित श्रेणी में अनुमन्य आयु सीमा में छूट का लाभ जोड़ते हुए अभ्यर्थी की अधिकतम आयु 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

5. आरक्षण :-

(क) आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। वे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं, सामान्य वर्ग/अनारक्षित श्रेणी (General Category/Unreserved Category) के अन्तर्गत ही आवेदन करें।



(ख) अनुसूचित जनजाति के उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों का चयन नियमानुसार किया जायेगा।

(ग) भूतपूर्व सैनिक (यथा उत्तर प्रदेश के शासनादेश में परिभाषित एवं जिन्होंने सेना में कम से कम 05 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो) को नियमानुसार रिक्तियों का 5 प्रतिशत, विकलांग अभ्यर्थियों (केवल विकलांगता श्रेणी OA/OL) को 3 प्रतिशत तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित को 2 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य होगा।

(घ) अभ्यर्थी को केवल आवेदित श्रेणी का ही लाभ अनुमन्य होगा।

**6. चयन प्रक्रिया :-** अभ्यर्थी द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र में उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर लिखित परीक्षा में औपबन्धिक रूप से (**provisionally**) सम्मिलित किया जायेगा। अभ्यर्थियों के मात्र लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने से अर्हता अथवा चयन का अधिकार प्राप्त नहीं हो जायेगा। चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जायेगा।

### लिखित परीक्षा

सहायक लेखाकार के पद पर विद्युत सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती हेतु **वस्तुनिष्ठ प्रकार की** लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा का प्रश्न-पत्र दो भागों का होगा। प्रथम भाग में 50 प्रश्न एवं द्वितीय भाग में 150 प्रश्न होंगे।

### प्रथम भाग:

- (1) प्रथम भाग की लिखित परीक्षा में DOEACC के "O" स्तर का कम्प्यूटर ज्ञान से सम्बन्धित एक प्रश्न-पत्र होगा जिसमें 50 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा अर्थात् यह परीक्षा अधिकतम 50 अंकों की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक की अतिरिक्त कटौती की जायेगी।
- (2) कम्प्यूटर ज्ञान की **प्रथम भाग की परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा** अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अभ्यर्थी को अर्ह न मानते हुये उसकी लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।

### द्वितीय भाग:

(1) द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम (Syllabus) निम्नवत् होगा:-

(i) General English & General Hindi.

(ii) Arithmetic.

(iii) Accountancy, Auditing and Income Tax (conforming to the graduation standard)

The syllabus of Accountancy, Auditing And Income Tax is detailed below:-

### Accountancy:-

(a) Trading and Profit & Loss Accounts and Balance Sheet.

(b) Bills of Exchange.

(c) Self balancing ledgers and sectional balancing.

(d) Capital & Revenue, Receipts & Payments, Income & Expenditure Accounts.

(e) Depreciation, Reserve & Provisions.

(f) Branch and Departmental Accounts.

(g) Double Accounts System.

(h) Bank Reconciliation Statement.

(i) Rectification of Errors.

(j) Balance-Sheet formats & classification.

### Auditing and Income-Tax:-

(a) Object of Audit.

(b) Vouching and verification.

(c) Rights, Duties and Liabilities of Auditors.

(d) Income Tax, Provisions pertaining to income from salary and Provisions related to chapter-VI of Income tax Act 1961.



(e) Provision relating to TDS & forms to be filed with Income-Tax Department.

(2) प्रत्येक गलत उत्तर के लिये 1/4 अंक की अतिरिक्त कटौती की जायेगी।

(3) कम्प्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग के प्रश्नपत्र में अर्जित अंक श्रेष्ठता (मेरिट) निर्धारण हेतु जोड़े नहीं जायेंगे।

7. परीक्षा स्थल:- परीक्षा एक से अधिक शहरों में सम्पादित की जायेगी। अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर अथवा विशेष परिस्थितियों में परीक्षा के स्थान को बदला अथवा घटाया/बढ़ाया जा सकता है।

8. अर्हताओं एवं अन्य प्रमाण पत्रों का प्रस्तुतीकरण :- लिखित परीक्षा के प्रथम-भाग में घोषित अर्ह अभ्यर्थियों की सूची में से परीक्षा के द्वितीय-भाग में प्राप्त अंकों की श्रेष्ठतानुसार कुल श्रेणीवार रिक्तियों के दो गुने अभ्यर्थियों को अभिलेखों की जाँच हेतु शार्टलिस्ट किया जाएगा। सहायक लेखाकार पद हेतु निर्धारित अर्हता सम्बन्धी योग्यता प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रासंगिक प्रमाण पत्रों की मूल अभिलेखों से जाँच हेतु लखनऊ में आमंत्रित किया जायेगा जिसकी सूचना शार्टलिस्ट अभ्यर्थियों को उनके रजिस्टर्ड ई-मेल पर दी जायेगी। किसी भी प्रकार की गलत सूचना प्राप्त होने/देने पर अथवा अर्हतापूर्ण न करने वाले अभ्यर्थियों को बिना सूचना के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थन निरस्त करने एवं चयन प्रक्रिया से वंचित करने का अधिकार सुरक्षित है। अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों की जाँच मूल प्रमाण पत्रों से करने के उपरान्त अर्हतानुसार सही पाये गये अभ्यर्थियों की सूची में से श्रेणीवार रिक्तियों के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जायेगी। लिखित परीक्षा में एक से अधिक अभ्यर्थियों द्वारा समान अंक पाने की स्थिति में आयु में वरिष्ठ अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।

9. अनापत्ति प्रमाण पत्र:- यदि कोई अभ्यर्थी किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग में कार्यरत है तो उसे नियुक्ति के समय अपने विभागाध्यक्ष द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

10. चरित्र :- अभ्यर्थी को अपने पिछले शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य अथवा दो सम्मानित व्यक्तियों, जो सम्बन्धी न हो, द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र नियुक्ति के समय प्रस्तुत करना होगा।

11. वैवाहिक स्थिति:- ऐसे पुरुष/महिला अभ्यर्थी जो एक से अधिक जीवित पत्नी/पति रखते हो तथा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिनका विवाह ऐसे व्यक्ति से हुआ हो जिसके पास पहले से एक या एक से अधिक जीवित पत्नी हो, चयन हेतु अर्ह नहीं होंगे।

12. आवेदन शुल्क एवं प्रोसेसिंग चार्ज:- आवेदन शुल्क एवं प्रोसेसिंग चार्ज अप्रतिदेय (Non Refundable) है।


1.	उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थी हेतु	Rs. 600/- प्रति आवेदन
2.	विकलांग अभ्यर्थी (केवल OA/OL) (विकलांगता प्रतिशत 40 एवं अधिक) द्वारा आवेदन शुल्क देय नहीं है परन्तु आवेदन प्रोसेसिंग चार्ज देय होंगे।	Rs. 10/- प्रति आवेदन
3.	उत्तर प्रदेश के सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमीलेयर), भूतपूर्व सैनिक तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित श्रेणी के अभ्यर्थी हेतु	Rs. 900/- प्रति आवेदन
4.	अन्य प्रदेश के अभ्यर्थी हेतु	Rs. 900/- प्रति आवेदन

(1) आवेदन शुल्क एवं प्रोसेसिंग चार्ज नेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड अथवा स्टेट बैंक आफ इंडिया के चालान के माध्यम से जमा होगी, इसके अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से आवेदन शुल्क जमा नहीं होगा, जमा करने की विधि वेबसाइट [www.uppcl.org](http://www.uppcl.org) पर उपलब्ध है। बैंक चार्ज अभ्यर्थी द्वारा अलग से देय होंगे।

(2) आवेदन शुल्क एवं प्रोसेसिंग चार्ज के मद में जमा की गयी धनराशि किसी भी दशा में न तो वापस की जायेगी और न ही स्थानान्तरित अथवा किसी अग्रिम चयन हेतु सुरक्षित की जायेगी।

13. आवेदन कैसे करें:-कारपोरेशन की वेबसाइट [www.uppcl.org](http://www.uppcl.org) को खोलें एवं टैब "APPLY ONLINE AGAINST ADVT NO. 6/VSA/2016/A.A.-256" FOR THE POST OF ASSISTANT ACCOUNTANT पर क्लिक करें तथा खुलने वाले नये वेब पेज पर "How to Apply" पर क्लिक कर प्रक्रिया को भली-भाँति समझें एवं "FILL APPLICATION FORM" पर क्लिक कर आवेदन पत्र को निर्देशानुसार पूर्ण करें। अभ्यर्थियों को सुझाव दिया जाता है कि आवेदन पत्र में ई-मेल एवं मोबाइल नं0 को सावधानी पूर्वक भरे क्योंकि चयन से संबंधित संपूर्ण महत्वपूर्ण सूचना उन्हीं के माध्यम से प्रेषित की जाएगी। अतः वे अपना रजिस्टर्ड ई-मेल एवं मोबाइल नम्बर को अन्तिम परीक्षाफल आने तक सजीव रखें।

14. प्रवेश पत्र:- लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र को अभ्यर्थी द्वारा वेबसाइट [www.uppcl.org](http://www.uppcl.org) से डाउनलोड करना होगा तथा इसकी सूचना आवेदन पत्र में दिये गये रजिस्टर्ड मोबाइल नं0 पर SMS एवं रजिस्टर्ड ई-मेल पर मेल द्वारा प्रेषित की जायेंगी। प्रवेश पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे।



15. अन्य विशेष सूचना:-

(1) विकलॉग श्रेणी के अभ्यर्थियों (केवल OA/OL) को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रपत्र में ही विकित्सा प्रमाण पत्र देना होगा। प्रमाण पत्र में विकलॉगता प्रतिशत अवश्य अंकित होना चाहिए। उ0प्र0 शासन द्वारा उपरोक्त पद हेतु विन्हित विकलांगता श्रेणी (OA/OL) को छोड़कर अन्य अभ्यर्थी कृपया आवेदन न करें।

(2) केन्द्र /राज्य सरकार या किसी अन्य विभाग की सेवा से निष्कासित व्यक्ति उपरोक्त पदों हेतु अर्ह नहीं हैं।

(3) सभी प्रासंगिक अर्हताओं सम्बन्धी प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत न करने अथवा अभिलेख गलत पाये जाने पर अथवा आवेदन पत्र में दी गयी सूचना के अनुरूप न होने पर एवं अर्हता शर्तें पूर्ण न करने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(4) अभिलेखों की जाँच विभिन्न स्तरों पर की जायेगी। किसी भी स्तर पर गलत सूचना देने/प्राप्त होने पर अर्हता पूर्ण न पाये जाने पर अभ्यर्थन/चयन बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकता है।

(5) आवेदन सम्बन्धी पूछताछ हेतु [helpdeskacctt616@gmail.com](mailto:helpdeskacctt616@gmail.com) पर सम्पर्क किया जा सकता है। सभी पत्राचार आवेदन पत्र में भरे गये पत्राचार के पते पर ही किये जायेंगे। उपर्युक्त विज्ञापन बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार कारपोरेशन के पास सुरक्षित रहेगा। विज्ञापन का सम्पूर्ण विवरण वेबसाइट [www.uppcl.org](http://www.uppcl.org) पर आवेदन करने की अंतिम तिथि तक देखा जा सकता है।

16. पारदर्शिता:- परीक्षा की पारदर्शिता हेतु निम्न व्यवस्थायें की गई हैं:-

लिखित परीक्षा की समाप्ति के पश्चात् प्रश्नपत्र का सही हल, 02 कार्यदिवस के अन्दर निर्गत किया जाएगा। अभ्यर्थी घोषित प्रश्नपत्र के हल से सहमत न होने की दशा में 03 दिनों के अंदर साक्ष्य सहित आपत्ति दर्ज कराने के लिए स्वतंत्र होगा। प्राप्त सभी आपत्तियों को संज्ञान में लेने एवं विषय विशेषज्ञों की राय (जिनका निर्णय अंतिम होगा) के उपरांत लिखित परीक्षा का मूल्यांकन करते हुए श्रेष्ठता सूची जारी की जाएगी। निर्धारित अवधि के पश्चात् परीक्षा सम्बन्धी किसी भी आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

17. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र केवल उत्तर प्रदेश होगा।

महत्वपूर्ण तिथियाँ

विवरण	तिथि
आवेदन शुल्क जमा करने एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण करने की तिथियाँ	07-10-2016 से 28-10-2016
लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र डाउनलोड प्रारम्भ करने की तिथि	08-11-2016
लिखित परीक्षा	20-11-2016

सचिव  
विद्युत सेवा आयोग

सं0 1100/विसेआ/6-विसेआ-2016/सहा0लेखा0-256

दिनांक: सितम्बर 29, 2016

